संख्या : 24/xxxvi(1)/08-2-सात-ए./2004

प्रेषक,

आर0 डी0 पालीवाल,
सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा.उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग-2 देहरादून : दिनांक 28 जनवरी, 2008

विषय:- जिला देहरादून की तहसील विकासनगर में स्वीकृत सिविल जज (जू.डि.) के न्यायालय हेतु सृजित अस्थायी पदों की निरन्तरता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-8/xxxvi(2)-दो/2007-2-सात-ए/04,दिनांक 23.02.07 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल जिला देहरादून की तहसील विकासनगर में स्वीकृत सिविल जज (जू.डि.) के अस्थायी न्यायालय के लिए स्वीकृत सभी अस्थायी पदों की निरन्तरता वर्तमान शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन,यदि वे बिना पूर्व सूचना के पहले ही समाप्त न कर दिये जाएं, दिनांक 01-03-08 से 28-02-09 तक बढाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं । उक्त न्यायालय के लिए स्वीकृत कार्यालय व्यय के अनुदान की भी स्वीकृति प्रदारन की जाती है । उक्त न्यायालय/पदों का सृजन मूलरूप में शासनादेश संख्या-6-सात-ए/छत्तीस (1)/2005-2-सात-ए./04,दिनांक 29.10.05 द्वारा किया गया था।

2- उक्त न्यायालय के कार्यालय में पद धारण धारण करने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित संवर्ग की सेवा नियमावली से अवधारित होंगी ।

3- उक्त पर होने वाला व्यय आगामी वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश-00" के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा ।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-1-1270/76-दस,दिनांक 20 जुलाई,1968 सपठित कार्यालय ज्ञाप संख्या-ए-2-877/दस-92-24(8)/92,दिनांक 7-11-92 (यथा उत्तराखण्ड राज्य में प्रवृत्त),द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित किए गये अधिकारों के अन्तर्गत प्रसारित किए जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर0डी0पालीवाल)
सचिव ।

संख्या : 24 /xxxvi(2)/2008-दो-सात-ए./04 तद्दिनांक

प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),उत्तराखण्ड,माजरा, देहरादून ।

2- जिला न्यायाधीश/जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून ।

3- सिविल जज (जू.डि.) विकासनगर,देहरादून ।

4- वित्त अनुभाग-5/नियुक्ति अनुभाग/एन.आई.सी./गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार वर्मा)
अपर सचिव ।

H.C